

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)
प्रार्थना पत्र संख्या 15/10/18 प्रवेश तिथि 12-02-2018 निर्णय दिनांक 20-03-2018

1-श्री राम हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय नं-123, अंगप्पा नैकेन गली, चेन्नई-600001 है। जिसकी शाखा कार्यालय-श्रीराम हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, द्वितीय मंजिल, विष्णु प्रिया टॉवर-201-रधु मार्ग सरकारी चाइल्ड हॉस्पिटल के सामने अलवर-301001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।

—प्रार्थी

बनाम

1-श्रीमती शान्ति देवी पत्नी प्रेम चंद मीणा पता-23 राम नगर, एन.ई.बी. सरस्वती स्कूल के पास जिला अलवर राजस्थान-301001 दूसरा पता- 52, मीणा मोहल्ला, अग्रेया, तहसील कटूमबर नगर जिला अलवर राजस्थान-321606
2-श्री प्रेम चन्द मीणा पुत्र श्री अमर चन्द मीणा पता- 23 राम नगर एन.ई.बी. सरस्वती स्कूल के पास जिला अलवर राजस्थान-301001
दूसरा पता- 52, मीणा मोहल्ला, अग्रेया तहसील कटूमबर नगर, जिला अलवर राजस्थान-321606

अप्रार्थीगण / ऋणी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्थोरटाईजेशन एण्ड रेकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्थूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द की आवासीय सम्पति जो प्लॉट नं-डी-600,ए/1, खसरा नम्बर-405 ग्राम मूगंस्का,जिला अलवर राजस्थान-301001 में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन,ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न



page 1 of 2


जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अंग है। जिसकी माप लगभग 76.80 वर्ग गज है। जिसकी चार सीमाएँ इस प्रकार है कि उत्तर में प्लॉट नं-डी-601, दक्षिण में प्लॉट नं-डी-600,ए/2, पूर्व में खुला, पश्चिम में सड़क 30' चौड़ी को रहन रखा गया था।


अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताकि प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

- 1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
- 2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने



जिला मजिस्ट्रेट
अलवर

हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-03-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



page 3 of 3


(सज्जन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट अलवर
जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

